



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082024-256065
CG-DL-E-05082024-256065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2977]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 2977]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

का.आ. 3121(अ).—पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 30 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं.का.आ.1413(ई) के क्रम में केन्द्र सरकार, लोकहित में पेट्रोलियम और गैस का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, गुजरात में मगदल्ला (हाजिरा) पत्तन, सूरत {रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिपिंग एंड ऑफशोर डिवीजन टर्मिनल – गैस जेट्टी-1, गैस जेट्टी-2 और ईडीसी जेट्टी} हेतु पत्तनों पर नौचालन सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) के दिनांक 18.06.2024 के प्रमाण-पत्र सं.एनएसपीसी/050/2022 में अनुमत प्रचालनों के अनुसार समुद्र मार्ग से भारत में पेट्रोलियम के आयात के लिए दिनांक 01.06.2024 से 31.05.2027 तक की अवधि के लिए अधिसूचना को एतद्वारा विस्तारित करती है।

इसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 31.05.2024 की अधिसूचना सं.का.आ.2154(ई) के अधिक्रमण जारी किया जाता है।

[फा. सं. एम-25021/26/2024-एसएम]

भूषण कुमार, संयुक्त सचिव (एसएम)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2024

S.O. 3121(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways notification No. S.O. 1413(E) dated 30th March 2021, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby extends the notification for Magdalla Port (Hazira), Surat {Reliance Industries Ltd., Shipping & Offshore Division Terminal- Gas Jetty-1, Gas Jetty-2 and EDC Jetty} in Gujarat for import of petroleum into India by sea in accordance with operations permitted in Navigational Safety at Ports Committee (NSPC) certificate number NSPC/050/2022 dated 18.06.2024 for a period from 01.06.2024 to 31.05.2027.

This is issued in supersession of Ministry of Ports, Shipping and Waterways notification No. S.O. 2154(E) dated 31.5.2024.

[F. No. M-25021/26/2024-SM]

BHUSHAN KUMAR, Jt. Secy. (SM)